

फर्द अहकाम
प्रसन्न देवी बनाम छोटू वगै०

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या:- 19/2025. 5105

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.03.2025	<p>यह वाद पत्र वकील श्री दौलतराम जाट ने चौधरी ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 21.04.2025 को पेश हो।</p> <p>27/3/25 आज यह पत्रावली वकील द्वारा मौखिक निवेदन करने पर तल्पब कि उई वकील वाडी ने उक्त वाड को आगे नही-खासत इसी स्तर पर नोटिसेस ड्रेडिंग कर खारिज करने का निवेदन किया। अतः उक्त वाड वकील वाडी द्वारा नोटिसेस ड्रेडिंग के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वाड में से कम ही दाखिल पत्रावली रहे।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर</p> <p>Not Recd</p>